न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 39/2017 संस्थापन दिनांक — 01.05.2017

- 1. गंगाराम पुत्र नेहनेराम।
- 2. विजयराम पुत्र नेहनेराम।
- 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र प्रीतम सिंह। समस्त जाति कुशवाह, एवं निवासीगण बडा बाजार वार्ड कृ. 10 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---पुनरीक्षणकर्तागण

//विरूद्ध//

- 1. अमरसिंह पुत्र रामसहाय।
- 2. परशुराम पुत्र रामसहाय।
- 3. सीताराम पुत्र होलू।

STINIST STROTT

- 4. विश्वनाथ पुत्र होलू।
- 5. रणवीरसिंह पुत्र अमरसिंह।
- 6. राजाराम पुत्र ग्यासीमृतक **बारिसान**-
- अ–बालिकशन पुत्र राजाराम
- ब–ओमप्रकाश पुत्र राजारामी
- स-कमलेश पुत्र राजाराम।
- द–कल्लू पुत्र राजरिम [🔨
- ई—सरोज पुत्री राजाराम। समस्त जाति कुशवाह एवं निवासीगण बडा बाजार वार्ड कमांक 10 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
- 7. मानसिंह पुत्र रघुवीर सिंहमृतक बारिसान— अ–महेश पुत्र मानसिंह।
- ब—विनोद पुत्र मानसिंह। समस्त जाति कुशवाह, निवासी बडा बाजार वार्ड क. 10 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
 - असल प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण
- 8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....तरतीवी प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री एस०एस० श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगण द्वारा— श्री महेश श्रीवास्तव एवं श्री भगवती राजौरिया अधिवक्तागण।

आ-दे-श

(आज दिनांक 06/07/2017 को पारित किया गया)

- 01. पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण की ओर से यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण कमांक 08/2010 मु0फौ० (अमरिसंह आदि वि० गंगाराम आदि) में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण विरुद्ध प्रति पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 133 जा०फौ० स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।
- 02. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 133 जा०फौ० का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया था कि पुनरीक्षणकर्तागण वार्ड कमांक 10 कुशवाह मोहल्ला गोहद में निवास करते हैं और उनके सामने जो रास्ता है उस पर अनावेदकगण के द्वारा घूरा डालकर रास्ते में अवरोध पैंदा कर दिया है, जिससे मोहल्ले व आम लोगों को निकलने में परेशानी हो रहीं है। उक्त आवेदनपत्र पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को तलब किया गया जिसमें अनावेदकगण द्वारा जबाव दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सडक के किनारे घूरा पाया गया और दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाए जाने के उपरांत उक्त आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर अनावेदकगण के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।
- 03. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.

2017 को विधि और तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रकरण के संचालन के दौरान ही आवेदक राजाराम व मानसिंह की मृत्यु हो गई थी और राजाराम की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसों के संबंध में आदेश पारित किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। अनावेदकगण द्वारा जॉच रिपोर्ट पर आपत्ति की थी जिसका निराकरण किए बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्तागण का आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

- 04. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव एवं भगवती राजौरिया ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
- 05. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से श्री एस0एस0 श्रीवासतव अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री महेश श्रीवास्तव एवं श्री भगवती राजौरिया अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 08/2010 मु0फौ0 (अमरिसंह आदि वि0 गंगाराम आदि) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
- 06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :--
 - 01. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 08 / 2010 मु०फौ० (अमरसिंह आदि वि० गंगाराम आदि) में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?

।। सकारण निष्कर्ष।।

- 07. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि विचारण न्यायालय ने विहित प्रिकृया का पालन नहीं कया है और प्रारंभिक आदेश को अंतिम कर त्रुटि की है तथा अनावेदक कमांक 7 की मृत्यु के पश्चात् वारिसान की कोई कार्यवाही नहीं की है और उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को आपस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
- 08. अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अमरसिंह आदि की ओर से एक आवेदनपत्र दं.प्र.सं की धारा 133 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अनावेदकरण रास्ते में घूरा डालकर न्यूसेंस पैंदा कर रहे है जिससे निकलवालों को परेशानी पैदा हो रही है।
- 09. अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका से दर्शित होता है कि आवेदन दिनांक 22.09.2010 को प्रस्तुत किया गया था, बिक अंतिम आदेश दिनांक 12.04.2017 को पारित किया गया है। निश्चित रूप से दं.प्र.सं के अध्याय 10 के अंतर्गत आने वाले मामले लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाए रखने से संबंधित है, जिनका शीघ्रता से निराकरण किया जाना चाहिए।
- 10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि पुनरीक्षणकर्तागण को उचित रूप से नहीं सुना गया है। यदि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया जाए तो नोटिस मिलने पर दिनांक 28.03.2011 को अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है एवं बकालातनामा पेश किया गया है। तत्पश्चात् उभयपक्ष उपस्थित होता रहा है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में अनावेदकगण की ओर से जबाव प्रस्तुत जो कि गंगाराम, विजयराम, राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत किया गया है संलग्न है।

- 11. दं.प्र.सं की धारा 133 उपखण्ड मजिस्ट्रेट या विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस हटाने के लिए सशक्त शक्ति प्रदान करती है।
- 12. प्रश्नगत प्रकरण दं0प्र0सं0 की धारा 133(1)(क) के अंतर्गत आता है, जहाँ कि किसी लोक मार्ग या किसी मार्ग पर कोई वाधा या न्यूसेंस हटाए जाने का प्रावधान है।
- 13. आदेश की तामीली अनावेदकगण पर विधिवत हुई है। दं0प्र0सं0 की धारा 137 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि जहाँ अनावेदकगण किसी स्थान लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार करता है तो वहाँ मजिस्ट्रेट जाँच करेगा, किन्तु यदि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया जाए तो इनके द्वारा लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कान नहीं किया गया है, केवल यह आधार लिया गया है कि अनावेदकगण सड़क के नीचे खूरा डालता चला आ रहा है, जिससे कोई गंदगी नहीं होती है और मार्ग भी अवरूद्ध नहीं होता है। अतः रोड के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है।
- 14. प्रकरण में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा तसहीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कराई गई है। तहसीलदार द्वारा पटवारी से रिपोर्ट ली गई है जो कि प्रकरण में संलग्न है, जिसमें यह तथ्य उल्लेखित है कि अनावेदक गंगराम के द्वारा सड़क के किनारे तीन फिट गहरा गड़डा कर दिया है तथा रास्ते की बगल में घूरा डालने से गंदगी फैल रही है जिससे मोहल्ला वासियों को परेशानी हो रही है और जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। इस संबंध में पंचनामा रिकार्ड पर है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के इस आशय का प्रतिवेदन रिकार्ड पर है कि मौके पर रोड के किनारे अनावेदकगण द्वारा अपना कचड़ा फेंका जाता है जिससे न्यूसेंस पैदा हो रहा है।
- 15. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की इन तकों का प्रश्न है कि पुनरीक्षण याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एस.डी.एम को जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया था और ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को स्वयं जॉच करानी थी, वह किसी और से जॉच नहीं करा सकता था। अपर सत्र न्यायालय द्वारा जॉच स्वयं एस.डी.एम. को कराने के

लिए निर्देशित किया है ऐसा कोई दस्तावेज पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबिक दं.प्र.सं की धारा 139 मिजस्ट्रेट को किसी ऐसे व्यक्ति जिसे वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं जाँच नहीं किये जाने से कार्यवाही दूषित हो गई है।

- 16. जहाँ तक प्रकरण में आवेदक क्रमांक 6 राजाराम की मृत्यु का संबंध है। प्रकरण की कार्यवाही के स्वरूप को देखते हुए राजाराम के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक राजाराम की मृत्यु पर उनके वारिसान रिकार्ड पर न होने से प्रकरण की विधि मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 17. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रारंभिक आदेश को अंतिम कर दिया है। यदि इस संबंध में दं0प्र0सं० की धारा 138 का अवलोकन किया जाए तो यह प्रावधान करता है कि जिसके विरूद्ध धारा 133 के अंतर्गत आदेश किया गया है वह कारण दर्शित करता है और मजिस्ट्रेट उस मामले में साक्ष्य लेता है तो वह ऐसे आदेश को ऐसे परिवर्तन अथवा बिना परिवर्तन के अंतिम कर सकता है तथा दं0प्र0सं० की धारा 141 के अंतर्गत ऐसा अंतिम आदेश की अवज्ञा के संबंध में सूचना जारी किये जाने के प्रावधान है।
- 18. प्रश्नगत प्रकरण में अनावेदकगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है, उनके द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत स्थानीय अन्वेषण कराया है। तत्पश्चात् अंतिम आदेश पारित किया है। प्रकरण में जिस प्रकार की साक्ष्य आई है उससे पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से लिए गए आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अधिकारिता संबंधी, विधि संबंधी ऐसी कोई त्रुटि की हो जिससे पुनरीक्षणकर्ता की ओर से लिए गए आधार सत्य मानकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जावे।

19. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में ऐसी कोई त्रुटि नहीं की है जिसमें कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किया जावे।

20. परिणामतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

21. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

ह राजपूत) (वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
।धीश, गोहद अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
(मоप्र0) जिला भिण्ड (मुक्रुप्र)